



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-22/2019-482 दिनांक : 24.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल/लोहरदगा वन प्रमंडल/
मेदिनीनगर वन प्रमंडल/लातेहार वन प्रमंडल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/
गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/दुमका वन प्रमंडल/गोड्डा वन प्रमंडल/साहेबगंज
वन प्रमंडल/पाकुड़ वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/जामताड़ा वन प्रमंडल/
चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/हजारीबाग पूर्वी वन
प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ रामगढ़ वन प्रमंडल/बोकारो वन
प्रमंडल/ धनबाद वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/सरायकेला वन
प्रमंडल/ वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग/उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन
प्रमंडल, मेदिनीनगर/ उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल,
मेदिनीनगर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में
कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के
अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा
वृक्षारोपण कार्य, बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन
कार्य तथा नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन,
प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य
(द्वितीय वर्ष) हेतु **रु0 402.785 (चार करोड़ दो लाख अठहत्तर हजार
पांच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub
Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-29/2019-12/स्वी0 व0प0 दिनांक
27.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-29/2019-
12/आ0 व0प0 दिनांक 07.09.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण,
विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष
2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 402.785 (चार करोड़
दो लाख अठहत्तर हजार पांच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में
किया जाता है:-

(Signature)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	360.879
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	41.906
कुल :-		402.785

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख) पर, तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/ सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।
इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।
6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।
8. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण

है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-पिरपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11 सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का

- निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
- 19(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
- (II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।
- (III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।
- (IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।
- (VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।
- (VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।
- (VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।
- (IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।
- (X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।
- (XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।
- (XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।
20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation

ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2019-482 दिनांक- 24.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ पलामू/दुमका/हजारीबाग/जमशेदपुर/बोकारो/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ जमशेदपुर/ बोकारो/गिरिडीह/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2019-482 दिनांक- 24.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/लोहरदगा/ मेदिनीनगर/लातेहार/ गढ़वा/ दुमका/ गोड्डा/साहेबगंज/पाकुड़/ देवघर/ जामताड़ा/ चतरा/ हजारीबाग/ सरायकेला/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ गिरिडीह/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 257.29 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			5840.48	1140.00	6980.48
पलामू रीजन					
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	180	10.513	2.052	12.565
2	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	29.202	5.700	34.902
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	350	20.442	3.990	24.432
योग:—		1030	60.157	11.742	71.899
दुमका रीजन					
4	पाकुड वन प्रमंडल, पाकुड	72	4.205	0.821	5.026
5	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	50	2.920	0.570	3.490
6	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	50	2.920	0.570	3.490
योग:—		172	10.045	1.961	12.006
जमशेदपुर रीजन					
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	104	6.074	1.185	7.259
योग:—		104	6.074	1.185	7.259
बोकारो रीजन					
8	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	250	14.601	2.850	17.451
9	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	300	17.521	3.420	20.941
10	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	625	36.503	7.125	43.628
योग:—		1175	68.625	13.395	82.020
प्रसार वानिकी					
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	60	3.504	0.684	4.188
12	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	100	5.840	1.140	6.980
योग:—		160	9.344	1.824	11.168
सकल योग:—		2641	154.245	30.107	184.352

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 257.29 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			3087.48	0.00	3087.48
राँची रीजन					
1	राँची वन प्रमंडल, राँची	120	3.705	0.000	3.705
2	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	150	4.631	0.000	4.631
योग		270	8.336	0.000	8.336
पलामू रीजन					
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	550	16.981	0.000	16.981
4	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	100	3.087	0.000	3.087
5	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	50	1.544	0.000	1.544
6	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	250	7.719	0.000	7.719
योग		950	29.331	0.000	29.331
दुमका रीजन					
7	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	300	9.262	0.000	9.262
8	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	100	3.087	0.000	3.087
9	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	50	1.544	0.000	1.544
10	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	75	2.316	0.000	2.316
11	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	75	2.316	0.000	2.316
योग		600	18.525	0.000	18.525
हजारीबाग रीजन					
12	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	525	16.209	0.000	16.209
13	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	150	4.631	0.000	4.631
14	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	100	3.087	0.000	3.087
योग		775	23.927	0.000	23.927
बोकारो रीजन					
15	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	150	4.631	0.000	4.631
16	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	200	6.175	0.000	6.175
17	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	200	6.175	0.000	6.175
योग		550	16.981	0.000	16.981
वन्यप्राणी प्रभाग					
18	वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग	250	7.718	0.000	7.718
19	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर	150	4.631	0.000	4.631
20	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	450	13.894	0.000	13.894
21	उप निदेशक, व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	540	16.672	0.000	16.672
योग		1390	42.915	0.000	42.915
प्रसार वानिकी					
22	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	50	1.544	0.000	1.544
23	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	150	4.631	0.000	4.631
योग		200	6.175	0.000	6.175
सकल योग:-		4735	146.190	0.000	146.190

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु० 257.29 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	नदी एवं उसके उद्गम स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				5840.48	1140.00	6980.48
दुमका रीजन						
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	राजाभीठा (सुन्दर नदी)	50	2.920	0.570	3.490
2	देवघर वन प्रमण्डल	तिउर पहाड (काटा झरना) (मयूराक्षी नदी)	100	5.840	1.140	6.980
3	साहेबगंज वन प्रमण्डल	बाँझी (मोतीझरना नदी)	50	2.920	0.570	3.490
योग:-			200	11.680	2.280	13.960
हजारीबाग रीजन						
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	नीरी (नीरी नदी)	50	2.920	0.570	3.490
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बेडाहरिहरा (घसकारो नदी)	50	2.920	0.570	3.490
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	बेलगड्डा (फलगु नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		घाघरा (गरी नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		सरगाँव (पुरैनी नदी)	40	2.336	0.456	2.792
		सेसांग (हेरु नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		मारंगी पहाड़ (बासा नदी)	50	2.920	0.570	3.490
योग:-			340	19.856	3.876	23.732
पलामू रीजन						
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	बंशीखूर्द (जिन्जोई नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		महुअरी (बटाने नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		राजडेरवा (बधौता नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		गोरेथान (सलैया नदी)	50	2.920	0.570	3.490
		हुलसी कला (तेनुडीह नदी)	50	2.920	0.570	3.490
योग:-			250	14.600	2.850	17.450
बोकारो रीजन						
8	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	मानजोरी बहादूरपुर (जयन्ती नदी)	100	5.840	1.140	6.980
		गौरीपुर (सकरी नदी)	25	1.460	0.285	1.745
		घावाटांड (सकरी नदी)	25	1.460	0.285	1.745
		जमुनियांचुवां, भवनपुर, महेशपुर, कमलासिंघा, केन्दुआडीह (हरकटवा नदी)	25	1.460	0.285	1.745
योग:-			175	10.220	1.995	12.215
राँची रीजन						
9	राँची वन प्रमण्डल	चतरा (राढ़ू नदी)	70	4.088	0.798	4.886
योग:-			70	4.088	0.798	4.886
सकल योग:-			1035	60.444	11.799	72.243

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

257.29

कार्य दर प्रति हे०

क्र० स०	कार्य का विवरण	एकक	मानव दिवस				
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 257.29						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	514.58	640.00	1154.58	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु० 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1132.08	0.00	1132.08	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे०	5	1286.45	0.00	1286.45	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1029.16	0.00	1029.16	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे० तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	1878.22	0.00	1878.22	ट्रेन्च घेरान की मरम्मत
	योग-		22.70	5840.48	1140.00	6980.48	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (ख)



“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर

मजदूरी दर – 257.29 रु०

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हे०)

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मानक दिवस	मजदूरी	अन्य खर्च (साधन)	कुल राशि	अवधि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A. वित्तीय वर्ष 2020-21 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानक संख्या रु० 257.29						
1	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	12	3087.48	0.00	3087.48	
	कुल	12	3087.48	0.00	3087.48	


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची




आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019/482

दिनांक - 24-Aug-2020

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39118	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	779,300.00 रुपये सात लाख उन्नासी हजार तीन सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39120	LDGFOR001 KASH KUMAR UJJWAL FOREST OFFICER	463,100.00 रुपये चार लाख तीरसठ हजार एक सौ
योग:				1,242,400.00
क्रमिक योग:				रुपये बारह लाख बयालीस हजार चार सौ
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39124	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	4,209,400.00 रुपये बयालीस लाख नौ हजार चार सौ
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39128	LTRFOR001 D PRAKASH KAMBOJ D.F.O. FOREST DIV BAREILLY	3,228,900.00 रुपये बत्तीस लाख अठाइस हजार नौ सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39133	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	2,198,600.00 रुपये इक्कीस लाख अठानवे हजार नः सौ

योग:

9,636,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड आठ लाख उन्नासी हजार तीन सौ

10,879,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39135	GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	771,900.00 रुपये सात लाख इकहत्तर हजार नौ सौ
7	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39137	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O. DUMKA	926,200.00 रुपये नौ लाख छब्बीस हजार दो सौ
8	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39140	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	892,700.00 रुपये आठ लाख बयानवे हजार सात सौ

योग:

2,590,800.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड चौतीस लाख सत्तर हजार एक सौ

13,470,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39145	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	446,400.00 रुपये चार लाख छयालीस हजार चार सौ
10	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39150	PKRFOR001 NAY KANT MISHRA REGIONAL FOREST OFFICER	420,500.00 रुपये चार लाख बीस हजार पाँच सौ
11	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39151	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	815,600.00 रुपये आठ लाख पंद्रह हजार छः सौ
योग:				1,682,500.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड इकावन लाख बावन हजार छः सौ			15,152,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39155	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार छः सौ
13	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39157	CTRFOR002 KAS-MEENA B.P.O. NORTH DIV. CHITRA	1,620,900.00 रुपये सोलह लाख बीस हजार नौ सौ
14	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलिकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39160	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,864,700.00 रुपये अठारह लाख चौसठ हजार सात सौ
योग:				4,009,200.00
क्रमिक योग:				19,161,800.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39162	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	600,700.00 रुपये छः लाख सात सौ
16	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39167	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA HAZARIBAG WEST DIV, HZB	292,000.00 रुपये दो लाख बयानवे हजार
17	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39171	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	1,923,200.00 रुपये उन्नीस लाख तेइस हजार दो सौ
योग:				2,815,900.00
क्रमिक योग:				21,977,700.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
18	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39198	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	2,369,600.00 रुपये तेइस लाख उनहत्तर हजार छः सौ
19	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39199	DHNFOR001 SHRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	617,500.00 रुपये छः लाख सत्रह हजार पाँच सौ
20	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39203	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,672,300.00 रुपये छयालीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ
योग:				7,659,400.00
क्रमिक योग:			रुपये दो करोड छयानवे लाख सैतीस हजार एक सौ	29,637,100.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
21	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39211	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	607,400.00 रुपये छः लाख सात हजार चार सौ
22	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39216	HZBFWL016 DEEPA KUMAR YADAV WILDLIFE HZB	771,800.00 रुपये सात लाख इकहत्तर हजार आठ सौ
23	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39219	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	463,100.00 रुपये चार लाख तीस हजार एक सौ
योग:				1,842,300.00
क्रमिक योग:			रुपये तीन करोड चौदह लाख उन्नासी हजार चार सौ	31,479,400.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39222	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	1,389,400.00 रुपये तेरह लाख नवासी हजार चार सौ
25	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39228	PLMFOR068 ANKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S ORTH.DIV.MED	1,667,200.00 रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार दो सौ
26	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39231	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	154,400.00 रुपये एक लाख चौपन हजार चार सौ

योग:

3,211,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छयालीस लाख नब्बे हजार चार सौ

34,690,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
27	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39244	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	350,400.00 रुपये तीन लाख पचास हजार चार सौ
28	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39259	LTRFOR004 D. PRAKASH KAMBOJ S.F.D LATEHAR	1,047,100.00 रुपये दस लाख सैतालीस हजार एक सौ
29	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39275	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	79,800.00 रुपये उन्नासी हजार आठ सौ
योग:				1,477,300.00
क्रमिक योग:				36,167,700.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
30	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39280	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	490,200.00 रुपये चार लाख नब्बे हजार दो सौ
31	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39284	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DEPT. FOREST DIV GARHWA	570,000.00 रुपये पाँच लाख सत्तर हजार
32	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविलकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39285	GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	399,000.00 रुपये तीन लाख निम्नानवे हजार

योग:

1,459,200.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड छहत्तर लाख छब्बीस हजार नौ सौ

37,626,900.00

(H)AND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
33	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39287	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
34	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39291	SBJFOR001 KAS PALIWAL DIVISIONAL OFF. SAHIBG	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
35	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39292	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	82,100.00 रुपये बयासी हजार एक सौ
योग:				253,100.00
क्रमिक योग:				37,880,000.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND	
Page 12 of 16		59.97.150.31	RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39295	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
37	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39301	JMTFOR001 SHIL SOREN. JAMTARA	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
38	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39303	CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	273,600.00 रुपये दो लाख तीहत्तर हजार छः सौ
योग:				444,600.00
क्रमिक योग:			रुपये तीन करोड तिरयासी लाख चौइस हजार छः सौ	38,324,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
39	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39305	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
40	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39308	HZBFWL005 B. TRUNI RAJENDRA N. D. U. S. P. O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	57,000.00 रुपये सत्तावन हजार
41	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिविकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39310	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	285,000.00 रुपये दो लाख पचयासी हजार
योग:				399,000.00
क्रमिक योग:				38,723,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
42	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39312	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	342,000.00 रुपये तीन लाख बयालीस हजार
43	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39314	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOS DIV.	912,000.00 रुपये नौ लाख बारह हजार
44	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39318	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	118,500.00 रुपये एक लाख अठारह हजार पाँच सौ
योग:				1,372,500.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड छयानवे हजार एक सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	40,096,100.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं टययन पदा.	आवंटित राशि
45	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39324	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	68,400.00 रुपये अडसठ हजार चार सौ
46	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : Central Scheme :	39327	LTRFOR004 VED PRAKASH KAMBOJ S.F.D LATEHAR	114,000.00 रुपये एक लाख चौदह हजार
योग:				182,400.00
क्रमिक योग:				40,278,500.00
रुपये चार करोड दो लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ				
(NAND KISHORE SINGH)				
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				